संख्या– 843 /11–6–2016–20एम(19)/08

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषयः **प्रदेश में पुराने बंद पड़े या घाटें में चल रहे छविगृहों को रिमॉडल/पुनर्संरचित कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में।**

महोदय,

प्रदेश में पुराने बंद पड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को बिना पूर्ण रूप से तोड़े रिमॉडल/पुनर्संरचित कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–231/11–6–11–बीस0एम0(19)/2008 दिनांक 20.05.2011 द्वारा कतिपय शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक 20.05.2011 में विहित व्यवस्था में संशोधित करते हुए इस योजना में ऐसे नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद, जहां एक भी मल्टीप्लेक्स हों, को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में एकल छविगृह के रिमॉडल/पुनर्संरचित कर विविध सुविधाओं व व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है।

2. उक्त योजना में किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था न होने के कारण यह योजना अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही है और सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः सम्यक विचारोपरान्त ऐसा सिनेमा भवन को बिना पूर्ण रूप से तोड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को रिमॉडल/पुनर्संरचित कर व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने हेतु उक्त प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह में प्रथम फिल्म प्रदर्शन अथवा अनुदान स्वीकृति के दिनांक से (जो भी बाद में हो) 03 वर्ष की अवधि हेतु कुल एकत्रित मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान प्रोत्साहन धनराशि के रूप में देय होगा।

(2) रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह में कम से कम 125 आसन क्षमता का छविगृह बनाना अनिवार्य होगा।

....2

(3) रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह को जिला मजिस्ट्रेट (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा रिमॉडल/पुनर्संरचना के लिये प्रदान की गयी अनुमति की तिथि से रिमॉडल/पुनर्संरचना हेतु 02 वर्ष का समय दिया जायेगा।

(4) पुनर्संरचित छविगृह में विकलांगों के लिये रैम्प, पीने के पानी तथा संकेतों की पृथक से व्यवस्था की जायेगी।

(5) पुनर्संरचित छविगृह में व्यावसायिक गतिविधियों यथा–दुकानें, फूड कोर्ट, ए0टी0एम0, पार्लर, बैंक्वेट हॉल आदि प्रारम्भ करने की अनुमति तभी दी जायेगी, जब सिनेमा स्वामी छविगृह में फिल्म का प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

(6) रिमॉडल/पुनर्संरचना की अनुमति सिनेमा स्वामी को प्रदान करते समय सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति की ओर से प्रथम फिल्म प्रदर्शन से पांच वर्ष की अवधि तक अनिवार्य फिल्म प्रदर्शन हेतु अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में प्रस्तुत किया जायेगा, कि यदि इस अवधि के मध्य सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति द्वारा फिल्म प्रदर्शन बन्द किया जाता है तो, सिनेमा स्वामी/आबद्ध व्यक्ति अनुदान के रूप में ली गयी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (साधारण ब्याज) की दर से वापस राजकोष में जमा करेगा।

(7) छविगृह स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस सम्बन्ध में यह मान लिया जाएंगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह छविगृह स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिए अनुमन्य अनुदान की कुल धनराशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के मुख्य लेखा शीर्षक "2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनागत–101–संग्रहण प्रभार–मनोरंजन कर–04 छविगृहों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–20–सहायता अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता" के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक–"0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101–मनोरंजन कर–01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पत्र वाउचर का कार्य करेगा।

.....3

(8) इस योजना में रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह को अनुदान की अवधि में इस योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की अनुदान योजना या उच्चीकरण योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(9) उक्त सिनेमागृह के रिमॉडल/पुनर्संरचना की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (लाइसेंस प्राधिकारी) के स्तर से प्रदान की जायेगी तथा पुराने सिनेमाभवन को तोड़कर सिनेमाहॉल सहित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की सुविधा विषयक शासनादेश संख्या–1669/11–क0नि0–6–2004–बीस.एम. (36)/99 दिनांक 03.09.2004 के शेष प्राविधान यथावत् रहेंगें।

(10) सिनेमाहॉल को रिमॉडल/पुनर्संरचना के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (यथास्थिति विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र द्वारा) मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा, परन्तु छविगृहों रिमॉडल/पुनर्संरचित करने में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के प्रस्तर–3.1.1(क) में वर्णित कार्यों यथा–दरवाजे या रोशनदान खोलना या बन्द करना, आन्तरिक संचालन हेतु दरवाजों का निर्माण, आन्तरिक विभाजन, पुनः फर्श निर्माण, पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर छत का निर्माण (परन्तु मेजनाइन तल की छत का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा) तथा बालकनी में पैरामेट का निर्माण एवं पोर्टिको/पोर्च आदि के निर्माण के लिये नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रिमॉडल/पुनर्संरचना में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देयता नहीं होगी तथा अन्य देय शुल्कों की देयता के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय आवेदक द्वारा नियमानुसार शुल्क (मानचित्र शुल्क, निरीक्षण शुल्क, यथास्थिति, सुदृढ़ीकरण शुल्क/विकास शुल्क, अम्बार शुल्क आदि) देय होंगें।

(11) छविगृह स्वामी द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 एवं अन्य सुसंगत नियमों तथा प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त प्रस्तावित योजना के प्रावधान इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होंगें।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

....4

संख्या– 843 (1)/11–6–2016–एम(9)/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

कार्यालय मनोरंजन कर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 3707/ विधि संशो0/ 2016–17 लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2017

प्रतिलिपिः–समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संख्याधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(ए0एम0त्रिपाठी)
उपायुक्त,
मुख्यालय।

d:entertainment tax:diwakar vidhi sansho